

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर
 (जी-3, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, जयपुर)

क्रमांक:प.1(क)(10)कार्मिक/आर.एम.एस./डी.एल.बी./17/ 9203 दिनांक : 12-6-17
आदेश

राजस्थान नगर पालिका सेवा नियम, 1963 के नियम 25 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति की अभिशंषानुसार निम्नांकित स्वास्थ्य अधिकारी (साधारण वेतनमान) को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 3 में अंकित पद पर व कॉलम संख्या 4 में अंकित वर्ष की रिक्तियों में स्वास्थ्य अधिकारी (वरिष्ठ वेतनमान) के पद के निर्धारित वेतनमान में पदोन्नति करते हुए कॉलम संख्या 5 में अंकित तिथि से एक वर्ष के लिए परिवीक्षाकाल पर रखा जाकर कॉलम संख्या 6 में अंकित दिनांक से निर्देशानुसार स्थाई किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम लेखाधिकारी	पदोन्नति पद	वर्ष जिसकी रिक्तियों में पदोन्नति दी गई	दिनांक जिससे परिवीक्षाधीन रखा गया है	स्थाईकरण दिनांक	विशेष विवरण
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
01.	डॉ० रश्मि कांकरिया	स्वास्थ्य अधिकारी (वरिष्ठ वेतनमान)	2017-18	01.04.17	-	
02.	डॉ० सोनिया अग्रवाल	स्वास्थ्य अधिकारी (वरिष्ठ वेतनमान)	2017-18	01.04.17	-	
03.	डॉ० कविता मीणा	स्वास्थ्य अधिकारी (वरिष्ठ वेतनमान)	2017-18	01.04.17	-	

उपरोक्त अधिकारी को पदोन्नति का लाभ केवल नोशनल (परिकल्पित) आधार पर देय होगा। पूर्व का कोई ऐरियर देय नहीं होगा।

(पवन अरोडा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

दिनांक : 12-6-17

क्रमांक:प.1(क)(10)कार्मिक/आर.एम.एस./डी.एल.बी./17/ 9204-9212

प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. निजी सचिव, मा० मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज० जयपुर।
02. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज० जयपुर।
03. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
04. महापौर/आयुक्त, नगर निगम, जयपुर।
05. डॉ० रश्मि कांकरिया, स्वास्थ्य अधिकारी (वरिष्ठ वेतनमान), नगर निगम, जयपुर।
06. डॉ० सोनिया अग्रवाल, स्वास्थ्य अधिकारी (वरिष्ठ वेतनमान), नगर निगम, जयपुर।
07. डॉ० कविता मीणा, स्वास्थ्य अधिकारी (वरिष्ठ वेतनमान), नगर निगम, जयपुर।
08. निजी/सुरक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक